न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 03/2017

सरकार बनाम सुनील कुमार पुत्र मेवासिंह, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.02.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुनील कुमार पुत्र मेवासिंह, जाति–जाट, निवासी– कुलोठ कलां द्वारा रोही मौजा कुलोठ कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 621 के कुल रकबा 4.82 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.80 है0 भूमि पर गेहूँ काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने खसरा नं. 621 पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर गेहूँ की फसल काश्त कर रखी है। जोहड़ की भूमि पर कोई फसल काश्त नही कर रखी है। इस पर जांच भू.अ.नि. महपालवास से करवाई गई कि गै.मु. जोहड़ की भूमि पर काश्त है या नही, अगर काश्त है तो फसल कुर्की की कार्यवाही करें। अपनी जांच रिपोर्ट में भू.अ.नि. महपालवास ने गै.मु. जोहड़ की भूमि पर गैर सायल का अतिक्रमण होना बताया है तथा मौके पर काश्त की गई फसल की कुर्की भू.अ.नि. द्वारा की जा चुकी है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 240 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई कुर्क शुदा फसल को राजहक में नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 39 पर वर्ष 2016-17 में रूपये 240/- कायम किए राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़

115

108